राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 सेवाये, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :– राजपत्रित / डीपीसी / एसीपी / 10 / 2017 / दिनांक :–

–: आदेश :–

राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक प.11(7)/वित्त / नियम / 2008 / पार्ट I दिनांक 12.09.2008 एवं 06.10.08 तथा एफ.14(88)एफडी (रूल्स) / 2008–II दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों की 10 वर्ष की निरन्तर एवं सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने अंकित कॉलम 08 में उल्लेखित दिनांक से पी.बी.–3 15600–39100 में ग्रेड पे 6000 (16) में प्रथम एसीपी स्वीकृत की जाती है :–

क्रं. सं.	चिकित्सक का नाम	वर्तमान पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जन्म तिथी	नियमित नियुक्ति दिनांक	10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की दिनांक	10 वर्ष पूर्ण होने पर एसीपी स्वीकृती दिनांक
1	2		4	5	6	7	8
1	डॉ. पंकज जैन	चिकित्सा अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, केकडी, अजमेर	17.04.1975	28.12.2000	28.12.2010	28.12.2010
2	डॉ. सन्तोष त्रिवेदी	चिकित्सा अधिकारी	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम	28.02.1964	18.02.1994	18.02.2004	01.09.2006
3	डॉ. उमा आचार्य	चिकित्सा अधिकारी	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम	03.02.1968	09.06.1994	09.04.2004	01.09.2006
4	डॉ. तारा शर्मा	चिकित्सा अधिकारी	निदेशक, ई.एस.आई. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें	02.10.1962	26.02.1994	26.02.2004	01.09.2006

उक्त चिकित्सा अधिकारियों का सेवा रिकार्ड कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष स्तर पर रहने के कारण एसीपी की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

1 कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.7(1)कार्मिक / क–2 / 95 दिनांक 20.06.01 के क्रम में दिनांक 01.06.02 को एवं इसके पश्चात् अधिकारी की तीसरी सन्तान नहीं होने की अधिकारी द्वारा घोषणा।

2 एसीपी की देय तिथि से ठीक 10 वर्ष पूर्व नियमित रूप से अधिकारी को वेतन वृद्धिया मिलने एवं उक्त अवधि की सेवायें सन्तोषप्रद होने बाबत अधिकारी द्वारा घोषणा।

3 संबंधित चिकित्सा अधिकारियों के विरूद्ध कोई विभागीय / फौजदारी जांच लम्बित / प्रस्तावित नहीं होने की तथा पूर्व में कोई दण्ड नहीं मिलने की अधिकारी की घोषणा।

4 उक्त कॉलम संख्या 06 में अंकित नियुक्ति तिथि नियमित रूप से होने की अधिकारी की घोषणा भी प्राप्त की जाना।

13
(318

5 जिन चिकित्सकों द्वारा पदौन्नती फोरगो की गई है उन्हें नियमानुसार 02 वर्ष पश्चात् की एसीपी का लाभ इस शर्त पर दिया जायेगा कि उनकी पुनः पदौन्नती होने पर उनके द्वारा फोरगो नही किया गया हो।

6 सबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड/सेवा रिकार्ड से घोषणा पत्र के तथ्यों तथा सेवा रिकार्ड के अनुसार चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण तिथि की पुष्ठी की जावेगी तथा उक्त घोषणा पत्र व इसकी पुष्ठी का इन्द्राज संबंधित चिकित्सा अधिकारी की सेवा पुस्तिका में किया जाकर तद्नुसार वेतन निर्धारण किया जावेगां विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अधिकारी की एसीपी स्वीकृति तिथि को 10 वर्ष निरन्तर व सन्तोषप्रद राजकीय सेवा की पुष्ठी की जावेगी।

उपरोक्त चिकित्सकों के इस सम्पूर्ण अवधि के एसीआर (वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) प्राप्त नहीं होने के कारण सन्तोषप्रद सेवा का प्रमाण के आधार पर उक्त एसीपी इस शर्त पर स्वीकृत की जाती हैं कि भविष्य मं उक्त अवधि में एसीपी में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर एसीपी स्वीकृति के बारें में निर्णय लिया जाकर तद्नुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त विधि से प्रकरण नियमानुसार होने पर ही इस स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित चिकित्सा अधिकारियो का वेतन निर्धारण वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.09.08 व 06.10.08 के नियम–20 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा एवं इस स्वीकृति तथा वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित चिकित्सकों की सेवा पुस्तिका में की जावेगी। वेतन निर्धारण से पूर्व संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि संबंधित चिकित्सकों एसीपी स्वीकृति तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरक्षित वेतन) नियम–2008 के पे–बैंड 3(15600–39100) ग्रेड–पे 5400 (15) में वेतन प्राप्त कर रहें है।

निदेशक (जन स्वा)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :– राजपत्रित/डीपीसी/एसीपी/10/2017/ 817 दिनांक :– 13/9/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2 निदेशक, ई.एस.आई., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
3 सम्बधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
4 सम्बधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
5 प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि विभाग की वैबसाइट पर तुरन्त अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।
6 संबंधित अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
7 कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।
8 आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।